को पेश हो।

23/6/22

पत्रांक आज प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत। प्रार्थीगण अपने वकील उपस्थित। प्रार्थीगण। द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर दावा। को विड्रो किया जाना बताया। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किया जाता है। कोई औचित्य नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकृत की सहमति पर खारिज किया जाता है पत्रांक के मूल मुताबिक नकल की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
रायगढ़ जिला रायगढ़

सहायक
मूलेश
Jaitilal
Jyme